

प्रेषक,

निदेशक,
डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी(नैनीताल)।

सेवा में,

सहायक निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी,
डेयरी विकास उत्तराखण्ड,
पिथौरागढ़।

पत्रांक / 0202 / दु0मू0प्रो0(एस0सी0एस0पी0) / ब0आं0पत्रा0 / 2024-25 दिनांक 28 फरवरी 2025

विषय— वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-30 के अंतर्गत 04-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (एस0सी0एस0पी0) अंतर्गत प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-69/XV-2/2025/01(09)/2014 दिनांक 20 फरवरी 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक 04-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (एस0सी0एस0पी0) अंतर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 100 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष कार्यालय संयुक्त निदेशक/सम्पर्क कार्यालय डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक V/153877/2025/नियो0-दु0प्रो0यो0पत्रा0(ई0-15779) दिनांक 24.02.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपलब्ध कराई गयी फॉट के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ को वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु रू0 8,00,000 (रू0 आठ लाख मात्र) का आवंटन शासनादेश में निहित शर्तों के अधीन किया जाता है—

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहन की धनराशि दुग्ध सहकारी समितियों के केवल अनुसूचित जाति के दुग्ध उत्पादकों को ही वितरित की जाय तथा लाभान्वित की सूची समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
2. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय।
3. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अंतर्गत ही किया जाय।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बंधित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
5. उक्त योजना के क्रियान्वयन से पशुपालकों की आय में क्या अपेक्षित वृद्धि हुई है, इसका मूल्यांकन कराया जाय।
6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 03 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-04 पर निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
7. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
8. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

कमश:- 2

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित निदेशालय/सम्पर्क कार्यालय देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. किसी भी दशा में शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना धनराशि का आहरण पार्किंग ऑफ फण्ड हेतु अथवा पी0एल0ए/अन्य विभागीय खातों में रखे जाने हेतु न किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक--2404-डेरी विकास,-00-102-डेरी विकास परियोजनायें,-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,-04-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन (एस0सी0एस0पी0)-56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-बजट ID

भवदीय,

Signed by

Navin Chandra Bahuguna

Date: 28-02-2025 11:07:36

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

पृ0 सं0 4694-99 / तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. सचिव (डेरी), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पिथौरागढ़।
5. गार्ड फाइल, लेखा अनुभाग, निदेशालय, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

(नवीन चन्द्र बहुगुणा)
वित्त अधिकारी

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)**Digitally signed by: Mr Naveen Chandra
Bahuguna
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 27-02-2025 14:46:08**Head of Department : Director Dairy Development (2353)
Treasury-Pithoragarh(3800)
DDO-Assistant Director Dairy Development Pithoragarh(2353)**

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25020300067

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक - 25-FEB-2025

लेखा शीर्षक -

2404	डेयरी विकास	00	-
102	डेरी विकास परियोजनाएं	02	अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
04	दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन		

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	2	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	700000	800000	700000	1500000
	योग	700000	800000	700000	1500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 8,00,000 (Rupees Eight Lacs Only)

Batch ID : DIS:2353:2353:2502:0011

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand